न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

1– प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/5296/2004/जालोर

1–मंदिर अम्बा माता दुर्ग जालोर जरिए बंशीलाल पुत्र बालकदास सेवग निवासी जालोर

–अपीलार्थी

बनाम

1–कैलाश पुत्र जयराम सेवग निवासी जालोर
2–सादुला पुत्र पुनमाजी धांची निवासी जालोर
3–अणदा पुत्र सूरता भील निवासी ग्राम साफांडा तहसील व जिला जालोर
4–हीरका पुत्र नेमा भाम्बी निवासी सामतीपुरा तहसील व जिला जालोर
5–अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, जालोर
6–तहसीलदार जालोर

–प्रत्यर्थीगण

उपस्थित–

श्री एस.पी. ओझा, राजकीय अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री ओ.एल. दवे, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से

2– प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/3300/2005/जालोर

1–सरकार जरिए तहसीलदार जालोर

–अपीलार्थी

बनाम

1–कैलाश पुत्र श्री जयराम जाति सेवग निवासी जालोर
2–मंदिर श्री अम्बा माता दुर्ग जालोर जरिये व्यवस्थापक बंशीलाल पुत्र श्री बालकदास जाति सेवग निवासी जालोर तहसील जिला जालोर
3–सादूला पुत्र पूनमाजी जाति धांची निवासी जालोर
4–अणदा पुत्र सूरता भील निवासी ग्राम साफांडा तहसील व जिला जालोर
5–हीरका पुत्र नेमा जाति भाम्बी निवासी सामतीपुरा तहसील व जिला जालोर
6–अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, जालोर

–प्रत्यर्थीगण

उपस्थित–

श्री एस.पी. ओझा, राजकीय अधिवक्ता, अपीलार्थी

खण्डपीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री राजेश कुमार दडिया, सदस्य

निर्णय

दिनांक 13.02.2025

अपीलार्थीगण ने यह दोनों द्वितीय अपीलें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर केम्प जालोर द्वारा अपील संख्या 13/2002 बउनवानी कैलाश बनाम मंदिर अम्बा माता दुर्ग जालोर जरिये बंशीलाल पुत्र बालकदास सेवग निवासी जालोर में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04–10–2004 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– दोनों अपीलों में पक्षकार एवं निर्धारण हेतु वैधानिक बिन्दु समान होने के कारण एवं अपीलीय न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष दो अपीलें पृथक–पृथक प्रस्तुत होने पर दोनों अपीलों का निस्तारण एक समान निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली में सुरक्षित रखी जावें।

3– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 संख्या 2 मन्दिर श्री अम्बा माता दुर्ग की ओर से रेस्पो0/प्रतिवादी एंव राज्य सरकार के विरुद्ध एक राजस्व वाद विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), जालोर के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् पेश कर कथन किया कि ग्राम जालौर ''ए'' साबिक खसरा न0 1517 एंव 1518 हाल खसरा नम्बर 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1042, 1043 कुल रकबा 70 बीघा तथा जालौर ''बी'' के साबिक खसरा न0 284 एंव खसरा नं0 2568/284 हाल खसरा नं0 3688, 3689, 3690, 3692 रकबा 28 बीघा 12 बिस्वा व 3 बीघा 18 बिस्वा भूमि मंदिर श्री अम्बाजी की खातेदारी की भूमि है किन्तु उक्त भूमि पर प्रतिवादी ने नाजायज कब्जा कर रखा है, इस कारण

उनको बेदखल किया जाकर कब्जा भूमि का वादी को दिलाया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण संख्या– 1 व 2 की ओर से वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने वादपत्र व जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित 07 तनकीयात कायम की। तत्पश्चात् उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 10–04–2002 से वादी का दावा डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय के विरूद्ध रैस्पो0 संख्या–1 ने राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर कैम्प जालोर के न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04–10–2004 से आंशिक स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का विवादित आराजीयात तहसीलदार जालोर के कब्जे में लिए जाने संबंधी अंश अपास्त किया जाकर 200 रूपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष की नगद प्रतिभूति पर अपीलांट/रैस्पो0 के कब्जे में रखने का आदेश पारित कर दिया। इसी निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर यह दोनों द्वितीय अपीले मंडल के समक्ष प्रस्तुत की।

4– हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

5– अपीलार्थीगण के विद्धान अधिवक्ता ने अपील मीमों में वर्णित तर्को की पुनरावर्ती करते हुए तर्क किया कि आराजी जैर मंदिर मूर्ति डोली की भूमि है और मंदिर मूर्ति शास्वत अवयस्क होने उसके हितों के रक्षार्थ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी जैर तहसीलदार जालौर के कब्जे में दी गयी है। आराजी जैर सैटलमेण्ट के समय से मंदिर की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है और सैटलमेण्ट के इन्द्राज को कहीं कोई चुनौती कभी नहीं दी गयी है। बंशीलाल मंदिर के पुजारी एवं व्यवस्थापक है तथा देवस्थान विभाग से वार्षिकी भुगतान भी उसे दिया गया है। विद्धान अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा आगे यह भी तर्क किया गया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा मंडल हाजा के पूर्व निर्णय दिनांक 25–11–1977 एवं राज्य सरकार के परिपत्र 13–12–1991 पर गौर नहीं फरमाया है, ये निर्णय रैस्जयूडिकेटा का असर रखते है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावे और विचारण न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावे।

6– विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी प्रत्यर्थी के कब्जे काश्त की भूमि है और बतौर पुजारी देवस्थान विभाग में पंजीबद्ध है उसके उपरांत भी विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण को पुजारी नहीं मानने में विधिक भूल की है। माननीय राजस्व मण्डल में रेफरेन्स का निर्णय भी प्रत्यर्थीगण के हक में पारित हो चुका है। विचारण न्यायालय ने स्वयं आलौच्य वाद को संधारण योग्य नहीं माना है और वाद खारिज किया है किन्तु आराजी जैर के खुर्द–बुर्द होने की काल्पनिक आशंका मात्र होने के आधार पर तहसीलदार को रैस्पोडेन्ट के कब्जे की भूमि का रिसिवर नियुक्त कर दिया, जो न्यायोचित नहीं है। भूमि की व्यवस्था के नाम पर एक काबिज व्यक्ति को बेदखल नहीं किया जा सकता और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपील को आंशिक स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री द्वारा आराजी जैर तहसीलदार जालोर के कब्जे में लिए जाने संबंधित अंश को अपास्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से पारित निर्णय में द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले को खारिज किया जावे।

7– हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड एवं पारित निर्णयों का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

8– प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के तहत वादपत्र प्रस्तुत करते हुए प्रत्यर्थीगण की बेदखली की मांग किये जाने पर विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर जालोर द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर नियमानुसार जवाबदावा प्राप्त करते हुए वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य, मौखिक गवाहान आदि के आधार पर विवाद्यक विरचित किये गये तथा विरचित विवाद्यकों का प्रकरण के तथ्यों के अनुरूप विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त यह पाये जाने पर कि प्रकरण में मूल विवाद मंदिर अम्बा माताजी के पुजारी एवं व्यवस्थापक के विनिश्चयन का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं होने एवं पक्षकारों के मध्य मौके पर कब्जे काश्त को लेकर उत्पन्न विवाद एवं आराजी जैर के खुद – बुर्द नहीं होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार, जालौर को कब्जा प्राप्त करने व देवस्थान विभाग को मंदिर की सेवा हेतु प्रबन्धक के आदेश प्रदान किये गये।

इसके विपरीत अपीलीय न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कब्जे काश्त के संबंध में तहसीलदार, जालौर से कब्जा प्रतिवर्ष 200/– रूपये प्रतिभूमि पर वादी को सुपुर्द करने के आदेश प्रदान किये गये है। इस प्रकार दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के संबंध में भिन्न – भिन्न मत व्यक्त किये गये है। ऐसी स्थिति में द्वितीय अपील के स्तर पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का प्रकरण की परिस्थितियों के मद्देनजर विश्लेषण एवं विवेचन विधिक प्रावधानों के अनुसरण में किया जाना अपेक्षित है।

9– प्रकरण में प्रत्यर्थीगणों के मध्य मंदिर अम्बा माताजी की सेवा बहैसियत पुजारी करते हुए आराजी जैर पर कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहा है। दोनों पक्षकारों द्वारा मंदिर अम्बा माताजी की सेवा – सुसरा करने के कथन के साथ – साथ अपना – अपना कब्जा बताया जा रहा है। बंशीलाल (मृतक) द्वारा बहैसियत पुजारी प्रतिवादीगण के विरूद्ध बेदखली का दावा पेश किया जाना इस तथ्य को जाहिर करता है कि आराजी जैर पर प्रतिवादीगण काबिज काश्त रहे है, परन्तु उक्त आशय के साथ – साथ मंदिर के पुजारी होने के कथन को दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित भी किया गया है। इसके विपरीत प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि अम्बा माताजी की खातेदारी भूमि नहीं होकर पर अपनी खातेदारी भूमि होने का कथन करते हुए काबिज काश्त बताया गया है। अपने उक्त कथन के समर्थन में वादग्रस्त भूमि के संबंध में जिला कलेक्टर, जालौर के समक्ष प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या 133/86 निर्णय दिनांक 19–06–1999 के माध्यम से वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारों को स्वीकार करते हुए खारिज किये जाने का कथन किया गया है। इसी क्रम में देवस्थान विभाग, उदयपुर द्वारा वादी बंशीलाल एवं प्रतिवादीगण कैलाश आदि को ANUIT वार्षिकी भुगतान के पृथक – पृथक आदेश जारी किये जा चुके है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही पक्षकारों द्वारा मंदिर का पुजारी बताते हुए कब्जे काश्त की मांग/कब्जे काश्त को यथावत रखे जाने का कथन किया गया है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों एवं पक्षकारों के मध्य मौके पर कब्जे काश्त को लेकर अनावश्यक रूप से तनाजा उत्पन्न नहीं होने एवं इस तथ्य का निर्धारण की ‘‘जब तक पक्षकार सिविल न्यायालय द्वारा मंदिर के पुजारी के प्रश्न का विनिश्चयन नहीं करवा लेते” वादग्रस्त भूमि को तहसीलदार, जालौर को कब्जा प्रदान किये जाने के आदेश विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत्त किये गये है तथा मंदिर की पूजा अर्चना की व्यवस्था के लिये देवस्थान विभाग, उदयपुर को प्रबन्धन के आदेश प्रदान

किये गये है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि जहाँ पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त भूमि के कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहा हो, वहाँ विधि में ऐसी भूमियों के उचित प्रबन्धन हेतु प्रावधान निहित किये गये है।

10– प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त भूमि के कब्जे काश्त को लेकर विवाद के प्रश्न को दृष्टिगत रखते हुए व आराजी जैर की सुरक्षा एवं संरक्षण के बिन्दु को ध्यान में रखते हुए ही विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि का कब्जा तहसीलदार, जालौर को सुपुर्द करने के आदेश प्रदान किये गये है। इसके विपरीत प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा तहसीलदार, जालौर को कब्जा सुपुर्द करने अर्थात रिसिवर नियुक्त करने को कठोरतम उपाय मानते हुए वादी/अपीलांट को कब्जा काश्त सुपुर्द करने के आदेश प्रदान किये गये है अपीलीय न्यायालय की उपरोक्त व्याख्या प्रकरण के तथ्यों/परिस्थितियों एवं मौके पर पक्षकार के मध्य उत्पन्न तनाजा के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत् व्याख्या नहीं कहीं जा सकती। उल्लेखनीय यह भी है कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् मंदिर के पुजारी के प्रश्न विनिश्चयन सिविल न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किये जाने से पूर्व वादी/अपीलांट को कब्जा दिये जाने के अभिनिश्चयन का प्रभाव उक्त प्रश्न के निर्धारण पर पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04–10–2004 में उल्लेखित व्याख्या को युक्तियुक्त एवं तर्कसंगत नहीं माना सकता। अतः हस्तगत् दोनो अपीलें स्वीकार योग्य पाई जाती है।

11– परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले स्वीकार की जाकर विद्धान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर केम्प जालोर द्वारा अपील संख्या 13/2002 बउनवानी कैलाश बनाम मंदिर अम्बा माता दुर्ग जालोर जरिये बंशीलाल पुत्र बालकदास सेवग निवासी जालोर में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04–10–2004 अपास्त किया जाकर विद्धान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, जालोर द्वारा वाद संख्या 68/1999 बउनवानी मंदिर अम्बा माता दुर्ग जालोर जरिये बंशीलाल पुत्र बालकदास सेवग निवासी जालोर बनाम कैलाश में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10–04–2002 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष